भोपाल, दिनांक 19 जून 2025

क्रमांक–1159/मप्रविनिआ/2025–विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उप–धारा(1) और धारा 181 की उप–धारा(2)(फ) एवं (ब) सहपठित धारा 47 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 (आरजी–17, वर्ष 2009) जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में चतुर्थ संशोधन {एआरजी–17(I)(iv), वर्ष 2025}"

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये **विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) (चतुर्थ संशोधन), विनियम, 2009 {एआरजी–17(I)(iv), वर्ष 2025}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 1 में संशोधन**

2.1 **मूल विनियम के विनियम 1.20 के स्थान पर नवीन विनियम 1.20 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"1.20 ऐसे उपभोक्ता, जिन्हें अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया हो, के प्रकरण में अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की गणना ऐसे अतिरिक्त भार के लिये एक नवीन विद्युत संयोजन (service) के अनुरूप की जाएगी। इसी प्रकार, यदि संविदा मांग कम की जाती हो तो अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति की पुनर्गणना करेगा एवं शेष उपलब्ध अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को वह कम की गई संविदा मांग के अनुबन्ध के स्वीकृत किये जाने संबंधी माह के तत्काल बाद आने वाले माह से उपभोक्ता के अनुवर्ती विद्युत देयकों की राशि में तीन समान किस्तों में समायोजित कर सकेगा। तीन माह की कालावधि से अधिक विलम्ब होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन माह की अवधि के परे हुए विलम्ब के लिये उपभोक्ता को प्रचलित बैंक दर से एक प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज देय होगा :

परन्तु यह कि बैंक दर का वही अर्थ होगा जैसा कियह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में इसके लिये समनुदेशित है।"

2.2 मूल विनियम के विनियम 1.25 के स्थान पर नवीन विनियम 1.25 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"**1.25** प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थाई विच्छेदन (permanent disconnection), या करार/अनुबंध (agreement) के समापन या नवीन सेवा संयोजन (new service connection) हेतु आवेदन को निरस्त किये जाने पर सात कार्यालयीन दिवस के भीतर समस्त बकाया राशि के समायोजन पश्चात् लौटा दी जाएगी। सात कार्यालयीन दिवस से परे विलम्ब होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रचलित बैंक दर से एक प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज सात कार्यालयीन दिवस से अधिक विलम्ब हेतु देय होगा। अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विलम्ब की राशि को मिलाकर प्रत्यर्पण अवधि 120 दिवस से अधिक न हो जिसका उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि बैंक दर का वही अर्थ होगा जैसा कि यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में इसके लिये समनुदेशित है।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डा,
सचिव.

Bhopal, the 19th June 2025

No. 1 1 5 9 /MPERC/2025- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 181, Sub-section (2) (v) and (w) of Section 181 read with Section 47 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendment to the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision- I) Regulations, 2009, hereinafter referred as "**Principal Regulations**", namely: -